न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-365RAAJodhpur2021-177RTA225 papuram vs shankarlal etc

पपूराम पुत्र श्री गोपाराम जाति कुम्हार, निवासी- कानोडिया पुरोहितान, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. शंकरलाल पुत्र श्री कानाराम
2. भानीराम पुत्र श्री कानाराम
3. राजाराम पुत्र श्री कानाराम
4. बल्लूदेवी पत्नी श्री कानाराम
5. भीखाराम पुत्र श्री तेजाराम
6. स्वरूपाराम पुत्र श्री लूणाराम
7. सवाईराम पुत्र श्री लूणाराम
8. मोतीराम पुत्र श्री लूणाराम
9. सायरदेवी पत्नी श्री लूणाराम
10. सुरताराम पुत्र श्री गोपाराम
11. किस्तुरी पत्नी श्री गोपाराम

    सभी जातियान् कुम्हार, निवासीगण- कनोडिया पुरोहितान्, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
12. अशोक कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति महाजन, निवासी- देचू, तहसील देचू, जिला जोधपुर।
13. देवीसिंह पुत्र श्री उगमसिंह जाति राजपुरोहित
14. नेनू देवी पत्नी रावलसिंह जाति राजपुरोहित,

    दोनो जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण- कानोडिया पुरोहितान्, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

08.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 139/2019 पपूराम बनाम शंकरलाल इत्यादि

उपस्थित-

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलांट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो संख्या 15

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 08 सितंबर 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 139/2019 अनवान पपूराम बनाम शंकरलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 106 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 107 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा ग्राम कानोडिया पुरोहितान तहसील सेखाला के संबंध में रेस्पोडेंट के विरूद्ध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 जरिये प्रार्थना पत्र खारिज कर पूर्व पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

08.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। रेस्पोडेंट संख्या 12 से 14 अजनबी खरीददार है, जिन्होंने वादग्रस्त आराजी का बेचाननामा अविभाजित भूमि में विशेष भू-भाग के पड़ौस दर्शाते हुए निष्पादित करवाया है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का तुलनात्मक संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। रेस्पोडेंट्स उक्त बेचाननामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा करवाये बिना विशेष भू-भाग पर कब्जा करने हेतु आमादा है। इसलिए अपूरणीय क्षति का बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं को बखूबी अपने पक्ष में साबित किया, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलांट के पक्ष में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपीलाधीन आदेश के जरिये अपास्त कर दिया।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 को अपास्त किया जावे एवं प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थी/वादी के पक्ष में तथा रेस्पो./प्रतिवादी के विरुद्ध वाद के लंबित रहने तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2070-2073 ग्राम

08.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कनोडिया पुरोहितान के खाता संख्या 54 नया एवं पुराना खाता संख्या 45 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 106 रकबा 6.02 बीघा एवं खसरा नं. 107 रकबा 5.14 बीघा अपीलांट व अन्य की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख दो पृथक-पृथक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 03 सितंबर 2020 जो रेस्पोडेंट सुरताराम द्वारा रेस्पोडेंट अशोक कुमार, देवीसिंह एवं श्रीमती नेनुदेवी के पक्ष में निष्पादित किये गये है, के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 106 एवं 107 में सें रकबा क्रमश 1.10.10 बीघा एवं 1.06 बीघा का बेचान विशेष भू-भाग दर्शाते हुए किया गया है। कानूनन अविभाजित भूमि के संबंध में विशेष भू-भाग दर्शाकर बेचान नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना पूर्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को अपीलाधीन आदेश के जरिये निरस्त किया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 139/2019 अनवान पपूराम बनाम शंकरलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 निरस्त किया जाता है तथा उभय पक्ष को वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 106 रकबा 06.02 बीघा एवं खसरा नं. 107 रकबा 5.14 बीघा ग्राम कनोडिया पुरोहितान तहसील सेखाला

08.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बेचान/हस्तांतरण नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। साथ ही अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.9.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर